न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज कांसोटिया, आरएएस

(1) राजस्व अपील संख्या– 17/2022

अपीलान्ट –

श्रीमती सुरैया बेगम पत्नी मोहम्मद इमरान उल्लाह खान जाति मुसलमान निवासी नागौरी गेट के अन्दर, हसन अली की हवैली, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(2) राजस्व अपील संख्या–18/2022 –

अपीलान्ट–

श्रीमती जरीना खातून पत्नी साबिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी खारिया कुआ उदयमन्दिर जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(3) राजस्व अपील संख्या 19/2022 –

अपीलान्ट–

श्रीमती जोहरा बानो पत्नी मोहम्मद मुस्लिम साहिब जाति मुसलमान निवासी उदय मन्दिर जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिक
लणी

Scanned by CamScanner

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्री सप्तऋषि धर्मार्थ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(4) राजस्व अपील संख्या 20/2022 –

अपीलान्ट–

श्री नसीर मोहम्मद पुत्र स्व0 नजीर खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- आनन्दसिंह पुत्र सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(5) राजस्व अपील संख्या–21/2022 –

अपीलान्ट–

मकसूद खां पुत्र मेहमूद खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- आनन्दसिंह पुत्र सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(6) राजस्व अपील संख्या–22/2022 –

अपीलान्ट–

उस्मान खां पुत्र दाउद खां जाति मुसलमान निवासी सिन्धी भुट्टों का मौहम्मद नागौरी गेट, जोधपुर

बनाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

रेस्पोडेन्ट–

Scanned by CamScanner

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- आनन्दसिंह पुत्र श्री सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(7) राजस्व अपील संख्या–23/2022 –

अपीलान्ट–

सुरेन्द्र पुत्र श्री कंवरलाल सोनी निवासी शेषमल जी का बोहरा कोलोनी ब्यावर जिला अजमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(8) राजस्व अपील संख्या 24/2022 –

अपीलान्ट–

पन्नालाल पुत्र श्री पूनमचन्द जाति सोनी निवासी बागड़ चौक जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- आनन्दसिंह पुत्र श्री सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(9) राजस्व अपील संख्या–25/2022 –

अपीलान्ट–

जमीला बानो पत्नी श्री नसीर मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी 470 सिन्धी भुट्टो का मौहल्ला, जोधपुर

बनाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

2- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
3- मोहम्मद अमीन पुत्र मोहम्मद सईद, जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला लायकान, जोधपुर
4- मौहम्मद मोबीन पुत्र मौहम्मद अमीन जाति मुसलमान निवासी नागौरी गेट के अन्दर, शाहों की मस्जिद के पीछे, जोधपुर
5- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(10) राजस्व अपील संख्या– 26/2022 –

अपीलान्ट–

श्रीमती जरीना पत्नी मौहम्मद निसार जाति मुसलमान निवासी प्लोट संख्या 154, बकरा मण्डी, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्रीमती सबीरन पत्नी कुदरत उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला लायकान मस्जिद की गली के अन्दर, जोधपुर
3- आनन्दसिंह पुत्र श्री सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
4- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(11) राजस्व अपील संख्या– 27/2022 –

अपीलान्ट–

श्रीमती ज्योति सोनी पत्नी जितेन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी बागड़ चौक, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्रीमती सज्जन देवी पत्नी देवकिशन जमाती सोनी निवासी कुचेरा जिला नागौर
3- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
4- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

(12) राजस्व अपील संख्या– 28/2022 –

अपीलान्ट–

Scanned by CamScanner

श्रीमती सम्पति देवी पत्नी जोराराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- शविया बानू पुत्री रहीम बक्स
3- प्रवीण बानू पुत्री रहीम बक्स
जातियान मुसलमान निवासीगण लोहारों की मस्जिद, जोधपुर
4- आनन्दसिंह पुत्र श्री सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
5- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(13) राजस्व अपील संख्या– 31/2022 –

अपीलान्ट–

शिवराज पुत्र कंवरलाल सोनी निवासी शेषमल जी बोहरा कोलोनी, ब्यावर जिला अजमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्री सप्तऋषि धर्मार्थ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(14) राजस्व अपील संख्या– 32/2022 –

अपीलान्ट–

श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी डेगाना जिला नागौर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- आनन्दसिंह पुत्र श्री सोनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
3- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

(15) राजस्व अपील संख्या–33 / 2022 –

अपीलान्ट–

बुद्धाराम पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी मोड़ी सोथड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- मोहम्मद युनूस पुत्र मौहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी 369, लायकान मौहल्ला किले की घाटी, शरीफ चौक, जोधपुर
3- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
4- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

(16) राजस्व अपील संख्या–34 / 2022 –

अपीलान्ट–

आरती पत्नी धनराज सोनी , जाति सोनी , निवासी लाडणू हवेली के सामने , जुनी बागर चौक, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1- सोनसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
2- श्रीमती शान्ति देवी उर्फ़ शांता वर्मा पत्नी श्री जुगराज जी वर्मा , जाति वर्मा, निवासी वूरा विद्यासागर, ओसवाल गार्डन ब्लॉक-के-304, 210/212 चैन्नई तमिलनाडु 600021
3- श्रीमती सरिता पत्नी श्री मनोज , जाति वर्मा, निवासी वूरा विद्यासागर, ओसवाल गार्डन ब्लॉक-के-304, 210/212 चैन्नई तमिलनाडु 600021
4- श्री सप्तऋषि धर्माथ ट्रस्ट जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति नाई निवासी वार्ड संख्यश 17 बोर्डिंग हाउस के पीछे, भादरा जिला हनुमानगढ
5- सरपंच ग्राम पंचायत काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपस्थितिः–1–श्री गुलाबसिंह चाम्पावत अधिवक्ता सभी अपीलान्टगण की ओर से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

2–श्री मोतीसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सोनसिंह, आनन्दसिंह एवं सप्तऋषि धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर

3–शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 दिनांक 07–10–2019 ग्राम काकाणी पटवार हल्का काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

निर्णय दिनांक– 13/5/24

1- उपरोक्त सभी 15 अपीलें अपीलान्टस द्वारा म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 दिनांक 07–10–2019 ग्राम काकाणी की स्वीकृति के विरुद्ध दिनांक 12–12–2022 को इस न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। सभी अपीलों को दिनांक 13–12–2022 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये समन तलब किया गया। बाद तामील रेस्पोडेन्ट सोनसिंह, आनन्दसिंह एवं सप्तऋषि धर्मार्थ ट्रस्ट जरिये अधिवक्ता के उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टस को जरिये समन तलब किया गया परन्तु उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्टगण का कथन है कि शेष रेस्पोडेन्टस प्रोफोर्मा पक्षकार है इसलिये अपील में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई गई एवं मूल म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 ग्राम काकाणी का रेकर्ड तहसीलदार के जरिये तलब किया गया जो बाद प्राप्ति संलग्न पत्रावली किया गया।

2- अपील के सभी पक्षकारों का कथन है कि उपरोक्त सभी अपीलों में समान तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है इसलिये पक्षकारों के निवेदन पर सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई मुकर्रर की गई तथा संयुक्त रुप से सभी अपीलों पर उपस्थित पक्षकारान की बहस अपील सुनी गई।

3- अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण द्वारा अपीलान्ट श्रीमती परमेश्वरी, पन्नालाल, सम्पति देवी, जरीना, उस्मान खा, मकसूद खा, नसीर मोहम्मद द्वारा म्युटेशन संख्या 1765 एवं श्रीमती ज्योति सोनी, शिवराज, सुरेन्द्र, सुरैया बेगम, जरीना खातून, जोहरा बानो, बुद्धाराम, जमीला द्वारा म्युटेशन संख्या 1764 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त अपीलें प्रस्तुत की गई एवं कथन किया कि खसरा संख्या 798 ग्राम काकाणी रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा में 19 बीघा 15 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सोनसिह पुत्र नारायणसिंह के नाम खातेदारी थी जिसने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया एवं दिनांक 17–05–1994 को खसरा संख्या 798 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा यानि 31970 वर्गमीटर खातेदारी की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित की गई एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आवासीय अंकित करने का आदेश दिया गया। सोनसिंह द्वारा तत्पश्चात् उक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

सम्पूर्ण रुपान्तरित भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डों में जय भैरुनगर के नाम से काट दिया एवं अपीलान्टस को अलग–अलग 16 भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे के बेचान कर दिये जिसके आधार पर अपीलान्ट्स उक्त खसरान की भूमि पर कानून खातेदार हो गये एवं सोनसिंह उक्त भूमि का खातेदार नहीं रहा। सोनसिंह को उक्त भूखण्ड दुबारा बेचने का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु रेस्पोडेन्ट सोनसिंह ने दिनांक 12–06–2019 को अलग–अलग बख्शीशनामे के जरिये भूखण्ड रेस्पोडेन्ट आनन्दसिंह एवं सप्तऋर्षि धर्मार्थ ट्रस्ट को अन्तरित कर दिये एवं अलग–अलग बख्शीशनामे पंजीबद्ध करवा दिये। रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 दर्ज किये गये जबकि कानून उक्त दोनों म्युटेशन अवैध एवं शून्य है क्योंकि बख्शीशनामा का दस्तावेज अवैध व शून्य माना जायेगा। इसलिये रेस्पोडेन्ट सोनसिंह को भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं है। सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के तहत बेचान के आधार पर उक्त खातेदार काश्तकार माने जायेंगे एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 47 के तहत बेचान के आधार पर खरीददार का मालिकाना हक माना जायेगा। उक्त खरीदसुदा भूमि बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत नहीं हुआ है तो भी अपीलान्ट्स खरीददार उक्त भूमि के कानूनन खातेदार माने जायेंगे, इसलिये रेस्पोडेन्ट सोनसिंह को बख्शीशनामा के जरिये दुबारा बेचान या बख्शीश करने का हक नहीं है एवं ऐसे दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपीलान्ट्स को नोटिस नहीं दिया एवं न ही सुनवाई का मौका दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही म्युटेशन स्वीकार किये गये है इस कारण से म्युटेशन का आदेश एब–इनिशियो वोईड एवं बिना क्षेत्राधिकार के है तथा ऐसे प्रकरण में मयाद का बिन्दू लागू नहीं होता है। सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 8 व 48 के तहत किसी सम्पति का एक बार बेचान होने के बाद दुबारा हस्तान्तरण नहीं हो सकता जबकि इस प्रकरण में सोनसिंह द्वारा दुबारा बख्शीशनामा करवाया गया है जिसके आधार पर दर्ज म्युटेशन कानूनन स्वीकृत नहीं हो सकता। विवादित म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व अधिकारियों ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 119 से 148 की पालना नहीं की एवं विवादित म्युटेशन के कॉलम संख्या 1 से 16 सही इन्द्राज नहीं किये है। उक्त भूमि पूर्व में बेचान हो चुकी थी जिसकी पटवारी को जांच करनी चाहिये थी परन्तु बेचान के सम्बन्ध में एवं मौके पर कब्जा के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की तथा बेचानकर्ता के कोई बयान नहीं लिये, हल्का पटवारी से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई एवं अपीलान्ट्स खरीददार को म्युटेशन दर्ज करने से पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया, इसलिये उपरोक्त सभी अपीलें स्वीकार कर म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 दिनांक 07–10–2019 को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

(9.6) अपीलान्ट्स द्वारा दुर्भावनापूर्ण व दुराश्रय से ग्रसित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा तात्विक तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा पहले फौजदारी कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात् सिविल न्यायालय में कार्यवाही की गई एवं उसक पश्चात् उक्त म्युटेशन की अपील प्रस्तुत की गई है तो स्पष्ट तौर पर मयाद बाहर है एवं मयाद के प्रार्थना पत्र में जानबूझकर मिथ्या तथ्यों का उल्लेख किया है जो मयाद बाहर अपील का विलम्ब क्षमा करने के लिये समुचित स्पष्टीकरण की श्रेणी में नहीं आते है। इसलिये अपीलान्ट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के नाम वर्तमान में खातेदार के तौर पर दर्ज नहीं है जबकि रेस्पोडेन्ट रिकार्डेड खातेदार दर्ज है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के अधिकार समरी प्रोसिडिंग के जरिये समाप्त नहीं किये जा सकते।

अपीलाधीन म्युटेशन रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के आधार पर दर्ज किया गया है जिसके पक्षकार रेस्पोडेन्टस ही थे इसलिये अपीलान्टस को नोटिस देने एवं सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है एवं न ही ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता है।

अपीलान्टस के नाम से दर्ज भूमि का कतई दुबारा अन्तरण नहीं हुआ है मात्र त्रुटिवश अपीलान्टस को बेचान किये गये भूखण्डों का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट के दस्तावेज में हो गया था, जिसे शुद्धि पत्र द्वारा दुरस्त करवा लिया गया है एवं आगामी जमाबन्दी में पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज भूमि का नाप भी संशोधित कर दिया गया है।

10- अपीलान्ट्स एवं उपस्थित रेस्पोडेन्टस की विस्तृत बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, तथ्यों एवं अपीलाधीन म्युटेशन के रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

11- अपीलान्ट्स ने उपरोक्त सभी अपीलें म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 ग्राम काकाणी स्वीकृत दिनांक 07-10-2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्टस द्वारा यह अपील म्युटेशन की स्वीकृति के लगभग 3 वर्षो पश्चात् प्रस्तुत की गई है एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विलम्ब माफ कर अपील को मेरिट पर निर्णित करने का निवेदन किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस व जवाब में यह आक्षेप लिया गया है कि अपीलान्ट्स द्वारा विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है एवं जहां विलम्ब स्पष्ट नहीं है वहां माफ नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट्स ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश एब-इनिशियो वाईड है जिस पर मयाद के प्रावधान लागू नहीं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

होते है एवं उसे कभी भी चुनौति दी जा सकती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील मेरिट पर स्वीकार किये जाने योग्य हो तो अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को माफ किया जाना चाहिये। अतः न्यायहित में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

चूंकि उपरोक्त सभी अपीले अपीलांट द्वारा म्यूटेशन संख्या 1764 एवम् 1765 दिनांक 07/10/2019 ग्राम काकाणी की स्वीकृति के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी । रेस्पोडेन्ट सोनसिंह द्वारा सम्पूर्ण रुपांतरीत भूमि को छोटे छोटे भूखंडो में काटकर अपीलान्ट्स को अलग अलग 16 भूखंड जरिये पंजीबद्ध बैचाननामें के बैचान कर दिये , जिसके आधार पर अपीलान्ट्स उक्त खसरान की भूमि में भूखंडो के कानून खातेदार हो गये एवम् सोनसिंह उक्त भूमि में स्थित भूखंडो का खातेदार नही रहा । जिससे सोनसिंह को उक्त भूखंडो को दुबारा बैचने का कोई अधिकार नहीं था , फिर भी रेस्पोडेन्ट सोनसिंह ने दिनांक 12/06/2019 को अलग अलग बख्शीशनामे के जरिये भूखंड रेस्पोडेन्ट आनंदसिंह एवम् सप्तऋषि धर्मार्थ ट्रस्ट को अंतरीत कर दिये एवम् अलग अलग बख्शीशनामे पंजीबद्ध करवा दिये । पंजीबद्ध बख्शीशनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम म्यूटेशन संख्या 1764 एवम् 1765 दर्ज किये जोकि कानून अवैध एवम् शून्य है क्योंकि बख्शीशनामा का दस्तावेज अवैध एवम् शून्य माना जायेगा । अपिलान्ट्स खरीददार उक्त भूमि मेंसे बैचान भूखंडो के कानूनन खातेदार माने जायेंगे इसलिए रेस्पोडेन्ट सोनसिंह को बख्शीशनामा के जरिये दुबारा बैचान या बख्शीश करने का हक नहीं है एवम् ऐसे दस्तावेज के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता । म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना किये बिना ही स्वीकार किये गये । इस कारण से भी म्यूटेशन का आदेश एब–इनिशियो वोईड एवम् बिना क्षेत्राधिकार के है, इन तमाम परिस्थितियों के मध्य नजर अपीलान्ट्स की अपीले स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1764 एवं 1765 ग्राम काकाणी आंशिक निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार लूणी को रिमान्ड कर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम काकाणी के खसरा न. 798 में स्थित भूखण्ड सं. 40 से 44,115, 116, 122,123,125, 126,130,131, 140,141,142,144,145, 13,16 एवम् 27 के रकबे तक स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1764 एवं 1765 आंशिक निरस्त किये जावे तत्पश्चात अपीलान्टस द्वारा उक्त भूखण्डों के पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रस्तुत करने पर नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही करें तथा राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

रेसपोडेन्टस के शेष इन्द्राज यथावत रखे जावें। इस निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील की पत्रावली में संलग्न की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(पुखराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, लूणी
जिला–जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 13/5/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पुखराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, लूणी
जिला–जोधपुर।

Scanned by CamScanner